**भारत सरकार**

**संचार मंत्रालय**

**दूरसंचार विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 383**

**उत्तर देने की तारीख 24 जुलाई, 2024**

**दूरसंचार क्षेत्र में पीएलआई योजना**

**383. श्री पुट्टा महेश कुमार:**
**श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अप्रैल, 2021 से अब तक प्रत्येक राज्य से कुल कितने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) ने दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों हेतु पीएलआई योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन के लिए आवेदन किया है;

(ख) सभी राज्यों, विशेषकर आंध्र प्रदेश से दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों हेतु पीएलआई योजना के अंतर्गत कुल कितने आवेदन स्वीकृत हुए हैं;

(ग) पीएलआई योजना की शुरूआत से अब तक इसके अंतर्गत सभी राज्यों में दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए विभिन्न संस्थाओं को कुल कितनी धनराशि आवंटित और वितरित की गई है;

(घ) सभी राज्यों में दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों हेतु पीएलआई योजना के अंतर्गत एमएसएमई द्वारा शुरू किए गए निवेश और विनिर्माण कार्यकलापों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ड.) दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों हेतु पीएलआई योजना से विभिन्न संस्थाओं को मिलने वाले लाभों को अधिकतम करने, विशेषकर उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, सभी राज्यों में उनको समर्थन और बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री**

**(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)**

(क) कंपनियों के पंजीकृत कार्यालयों के स्थान (लोकेशन) के अनुसार अप्रैल 2021 से अब तक दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों हेतु उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम के तहत कुल 28 एमएसएमई के आवेदनों को प्रोत्साहन के लिए मंजूरी दी गई है। इनका राज्यवार विवरण इस प्रकार है:

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय | अनुमोदित कंपनियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | दिल्ली | 14 |
| 2 | गोवा | 1 |
| 3 | गुजरात | 1 |
| 4 | हरियाणा | 2 |
| 5 | हिमाचल प्रदेश | 1 |
| 6 | कर्नाटक | 4 |
| 7 | केरल | 1 |
| 8 | महाराष्ट्र | 2 |
| 9 | तेलंगाना | 1 |
| 10 | पश्चिम बंगाल | 1 |
| **कुल** | | **28** |

(ख) दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों हेतु पीएलआई स्कीम के तहत सभी राज्यों में कुल 42 आवेदन स्वीकृत किए गए है जिनमें से किसी का भी आंध्र प्रदेश में पंजीकृत कार्यालय नहीं है।

(ग) इस स्कीम के तहत कुल आवंटित निधि और संवितरित राशि क्रमशः 11,243.94 करोड़ रुपये और 331.83 करोड़ रुपये है।

(घ) दिनांक 31.05.2024 तक सभी राज्यों में 28 स्वीकृत एमएसएमई द्वारा कुल 304.08 करोड़ रुपये का निवेश और 3,469.50 करोड़ रुपये की बिक्री की सूचना दी गई है।

(ङ) विभाग ने इस स्कीम के तहत लाभार्थियों की प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. भारत में डिजाईंड, विकसित और निर्मित उत्पादों के लिए 1% अधिक प्रोत्साहन के साथ डिजाइन-आधारित विनिर्माण मानदंड की शुरूआत;

ii. अनुमोदित उत्पादों की सूची में 11 अतिरिक्त उत्पादों को शामिल करना;

iii. कंपनियों को स्कीम अवधि के दौरान किसी भी समय अनुमोदित सूची में से एक या अधिक उत्पादों को जोड़ने का विकल्प;

iv. कंपनियों को तिमाही आधार पर प्रोत्साहन दावेदारी प्रस्तुत करने का विकल्प दिया गया है।

*****